समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला स्थापना शाखा)
-ःआदेशः-

सरकार के अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-38, दिनांक-28.09.2015 के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2053- जिला प्रशासन-00-093 जिला स्थापनाएँ -0001 जिला प्रशासन विपत्र कोड N-2053000930001 मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष- 2015-2016 में व्यय हेतु आवंटन प्राप्त हुआ है जिसे निम्न प्रकार उपावंटित किया जाता है :-

क्र0	ईकाई/ कुट सं0	अनुमंडल पदा0, मधेपुरा	अनुमंडल पदा0, उदाकिशुनगंज	जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा	जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा	कुल योग
01	02	03	04	05	06	07
1	यात्रा भत्ता 1101	-	-	60000	-	60000
2	कार्यालय व्यय 1301	-	-	-	400000	400000
3	वाहन का ईधन एवं रख रखाव 1302	-	-	-	200000	200000
4	दूरभाष 1303	-	-	-	40000	40000
5	विद्युत 1304	-	-	-	50000	50000
6	वर्दी /पोशाक 1306	10000	-	-	15000	25000
7	समाग्री एवं पूर्तियाँ 2101	-	-	-	60000	60000
8	व्यवसायिक एवं विशेष सेवा 2801	-	-	-	250000	250000
	कुल योग-	10000		60000	1015000	1085000

(मो0 दस लाख पचासी हजार रूपये मात्र)

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561,वि0,(2)दिनांक-17.04.1998 एवं 396 दिनांक-24.04.2015 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाय। यदि कोई छदमपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
3. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
4. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
5. यह राशि मुख्य शीर्ष N-2053000930001 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष- 2015-16 में विकलनीय होगा।
6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नही समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. मासिक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से विपत्र संख्या, कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित इस कार्यालय को नियमित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. उपर्युक्त उपावंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अदयतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
10. उपावंटित राशि का विचलन कर अन्य मदों में कदापि व्यय नहीं किया जाय।
11. इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 741-2 /स्था0, मधेपुरा, दिनांक- 3.10. 2015

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज/ जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा/जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा एवं कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।